

## सार्वजनिक सूचना

राज्य में सहकारी समितियां हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 द्वारा शासित होती है। विभाग द्वारा राज्य में सहकारी समितियों के शासन और कार्य को मजबूत करने के लिए अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में आम जनता/हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं जोकि दिनांक 30 जनवरी 2019 तक [rcsharyanaa@yahoo.com](mailto:rcsharyanaa@yahoo.com) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

या


सुझाव निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं:-

Registrar, Cooperative Societies, Haryana,  
Sahkarita Bhawan, Bays No. 27-30, Sector 2,  
Panchkula.

लिफाफे के ऊपर "हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 पर सुझाव" लिख कर भेजे।

नोट:- रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा की Website [www.rcsharyana.gov.in](http://www.rcsharyana.gov.in) पर हरियाणा सहकारी समितियों, अधिनियम, 1984 (समय-समय पर संशोधित) उपलब्ध है।

स्थान: पंचकुला  
दिनांक: 11.12.2018

  
संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,  
हरियाणा, पंचकुला।